



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी  
कोलकाता - 700 001

वेबसाइट: <https://teaboard.gov.in>

टेल: 033-2235 1331

ई-मेल: [secretary.tbi-wb@gov.in](mailto:secretary.tbi-wb@gov.in)

विस्तार: 278

संदर्भ सं फैक्ट्री/नीति/2023/एलसी

दिनांक: 05  
04.10.2023

### परिपत्र

**विषय: नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की क्षमता वृद्धि हेतु एनओसी की वैधता के विषय में**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित के अनुसार, नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की क्षमता वृद्धि के लिए एनओसी जारी करने के संबंध में सभी मामलों में निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:-

- 1) अब से ऐसे एनओसी जारी होने की तारीख से 2 साल की वैधता के साथ जारी की जाएगी।
- 2) वास्तविक स्थिति/प्रगति पर भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में आवेदक के लिखित आवेदन के आधार पर, एक समय में 6 (छह) महीने के अधिकतम 4 (चार) कार्यकाल के लिए अतिरिक्त विस्तार की अनुमति दी जाएगी। नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की क्षमता वृद्धि से संबंधित कार्य और आवेदक द्वारा उचित रूप से उचित और चाय बोर्ड को स्वीकार्य।
- 3) यदि विनिर्माण इकाई विस्तारित अवधि तक काम पूरा करने में विफल रहती है, तो आवेदक को मामले की योग्यता के आधार पर केवल मामले के आधार पर आगे का विस्तार दिया जाएगा।

यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

*रजनीगंधा सील नस्कर*

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

|   |                               |   |                  |
|---|-------------------------------|---|------------------|
| 1 | अखिल चाय उत्पादक संघ          | } | कृपया सूचना हेतु |
| 2 | उपनिदेशक, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी |   |                  |
| 3 | प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर    |   |                  |